जारी 31/1/18

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 176/XXV–12/2015 देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2018.

सेवा में,

श्री विनय कुमार सैनी,
पुत्र श्री चमनलाल ग्राम ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेडी
पो0 सुल्तानपुर कुन्हारी
जिला–हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपके अपीलीय पत्र दिनांक 12–01–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–2699 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 09 फरवरी, 2018 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या– 176/XXV–12/2015 , तददिनांकित

2–प्रतिलिपि श्री बी0एस0 रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

karki

सेवा में

श्रीमान विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 04– सुभाष रोड सचिवालय परिसर देहरादून

प्रेषक– विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल ग्राम ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेडी पो0 सुल्तानपुर कुन्हारी जिला हरिद्वार...अपीलकर्ता

बनाम

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।..उत्तरदाता

प्रथम अपील पत्र– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महोदय,

आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा सूचना अनुरोध पत्र दिनांक–24.11.2017 को रजिस्टर डाक द्वारा प्रेषित कर लो0 सू0 अ0/कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गयी थी। लो0सू0अ0/सहायक आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जिसमें अनुरोध पत्र को पत्रांक 698/रा0नि0आ0–1/2237/2017 दिनांक 07.12.2017 के माध्यम से दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण कर लो0सू0अ0/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को वांचित सूचना अनुरोध कर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध करोने का अनुरोध किया गया लो0सू0अ0/अनुभाग अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्रांक सं0 2699/XXV-12(Part-6) 2008 देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर 2017 के माध्यम से आवेदक को जो सूचनाए उपलब्ध कराई गयी है वह आधी–अधूरी है क्योंकि अनुरोध कर्ता द्वारा जानकारी चाही गयी है कि जिन प्रत्याशियों को उत्तराखण्ड में विधान सभा के अग्रिम चुनाव लडने से प्रतिबन्धित किया गया है वह प्रत्याशी जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत के पदो पर दिसम्बर 2015–16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड सकते है या नही लिखित में जानकारी चाही गयी थी। जो लो0सू0अ0/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। इसलिए प्रथम अपील उत्पन्न हुई है।

श्रीमान जी आवेदक/अपीलकर्ता की प्रथम अपील स्वीकार कर 1 बिन्दु की सूचना सुस्पष्ट रूप में उपलब्ध कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक. 12.01.2018

विनय सैनी

भवदीय

सदस्य
R.T.I.
कल्ब उत्तराखण्ड रजि0
मो0–9219267655, 9458397787

सलंग्न

1. दिनांक 24.11.2017 को रजि0 डाक द्वारा प्रेषित सूचना अनुरोध पत्र की छायाप्रतिलिपि।
2. दिनांक 14.12.2017 को प्राप्त पत्रांक सं0 698 की छायाप्रतिलिपि।
3. दिनांक 18.12.2017 को प्राप्त पत्रांक सं0 2699 की छायाप्रतिलिपि।

S.O (R) PIO
18/1/2018
ACEO
12:45PM

AROI (K)
कृपया उक्तानुसार तिथि निर्धारित करते पत्रावली प्रस्तुत करें
18-01-2018
P.I.O.

सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 24-11-2017

प्रेषक- विनयकुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्राम जवाहर खान उर्फ शीवरहेडी, पो० सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद- हरिद्वार।

प्रेषित- श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड, देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महोदय- निम्नलिखित सूचना से प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रदान करने का कष्ट करें।

बिन्दु-1. उत्तराखंड राज्य के अन्तर्गत 2012 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये विधान सभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से सम्बंधित खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग में जमा न करने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रीम चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किये गये प्रत्याशी जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत के पदों पर दिसम्बर 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, उक्त से सम्बंधित शासनादेश की छायाप्रतिलिपि व लिखित में जानकारी।

विनय सैनी

संलग्न- शुल्क के रूप में 10 रु का पोस्टल आर्डर क्रमांक 39F-397444

भवदीय
R.T.I.
क्लब उत्तराखण्ड रजि0
मो0-9219261655, 9456397787

RV628379953IN

लगाए गए टिकटों का मूल्य रु
Amount of Stamps affixed Rs. 22 (487)

तारीख-मोहर
Date stamp

एक रजिस्ट्री बीमा
Received a Registered Insured

पाने वाले का नाम
Addressed to उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून

बीमे की रकम (अंकों में) (शब्दों में)
Insured for Rs. (in figures) (in words)

बीमा शुल्क रु० पै० वजन (शब्दों में)
Insurance fee Rs. P. Weight (in words)

भेजने वाले का नाम व पता
Name and address of sender

डाकघर निर्देशिका में दी गई शर्तों के अधीन जारी की गई
Issued subject to terms and conditions in P.O. guide

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable ______

किस डाकघर में
At what Office ______

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ______

भेजने की तारीख
Date sent ______

39F 397444

निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना
का अधिकार

पत्रांक : 698 / रा.नि.आ.-1/2237/2017

दिनांक 7/12/2017

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल,
ग्राम–ज्वाहर खान ऊर्फ झीवरहेडी,
पो0–सुल्तानपुर कुन्हारी,
जनपद–हरिद्वार।

कृपया अपने सूचना के अनुरोध पत्र दिनांक 24.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 04.12.2017 को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा 01 **बिन्दु** की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा निर्वाचन में जिन प्रत्याशियों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय विवरण जमा नही किया जाता उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है न कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अतः आपके अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं:–

श्री बी0पी0 कोठारी,
अनु सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।
दूरभाष नं0–0135–2670998 मो0 7534820707
संलग्नक

07.12.17
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2237/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अनुरोध–पत्र दिनांक 24.11.2017 की छायाप्रति इस आशय से अन्तरित की जा रही है कि उक्त अनुरोध पत्र के **बिन्दु संख्या–01** में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुरोध–पत्र की छायाप्रति।

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920, 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

सख्याः 2699 /XXV–12(Part-6)/2008 देहरादून : दिनाक 11 दिसम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री विनय कुमार सैनी,
पुत्र श्री चमन लाल,
ग्राम–ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी,
पो0–सुल्तानपुर कुन्हारी,
जनपद–हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 698/रा0नि0आ0–1/2237/2017 दिनांक 06–12–2017 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के कम में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–01 में चाही गयी उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा निर्वाचन–2012 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जिनके द्वारा चुनाव संबंधी व्यय का व्योरा प्रस्तुत न करने के कारण की निर्हरित किया गया है, की सूची एवं आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता संबंधी शासनादेश की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–05 पृष्ठ यथोपरि।

BS Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

karki